बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

काoआoसंo– विo प्राo (I) नियुक्ति–01/2018/ 675 /पटना, दिनांक –12/3/2018

अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 18/2014 के आलोक में आयोग के पत्रांक 241 दिनांक 19.01.2018 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान पीबी–3, 15600–39100 + एजीपी 6000/– (अपुनरीक्षित) एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के अधीन सहायक प्राध्यापक (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 7 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :–

क्रoसंo	नाम, पिता/पति का नाम एवं पत्राचार पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पदस्थापित अभिoमहाo का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री शादाब रब्बानी, 404, मक्का टावर, इन्द्रपुरी कॉलोनी, समनपुरा के पीछे बेली रोड, पटना–14	01	1	पटना	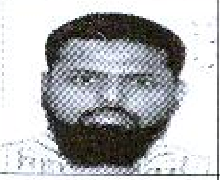	सहायक प्राध्यापक एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर।
2.	श्री मोo ताबिश रजा, C/o- मोo अंस अंसारी, आर. बी. टोला, पोo+थाना– पंडौल, मधुबनी–847234	04	2	मधुबनी		सहायक प्राध्यापक सुपौल अभिo महाo, सुपौल।
3.	श्री पुष्पेन्द्र द्विवेदी, M/Q- 305, C.W.S. कॉलोनी, इन्दिरा मार्केट, जयन्त, सिंगरौली, मoप्रo–486890	01	3	सिंगरौली (मoप्रo)	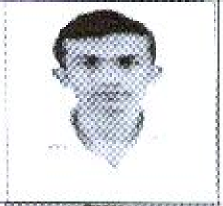	सहायक प्राध्यापक बी.सी.ई., भागलपुर।
4.	श्री रवि कुमार, C/o- अम्बिका मेडिकल, कोलकता बाजार के निकट, मेन रोड, मोतिहारी– 845401	05	4	पूर्वी चम्पारण	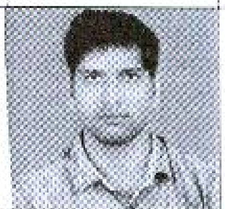	सहायक प्राध्यापक एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर।
5.	श्री अजय कुमार, प्लाट नंo– 1/एल–4, पोo– बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, महात्मा गाँधी नगर, कंकड़बाग, पटना–800026	02	12	पटना		सहायक प्राध्यापक एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर।
6.	श्री मोo इफतेखार आलम, C/o- मोo अली हुसैन, ग्राम+पोo– लक्ष्मीपुर, थाना– बरारी, कटिहार– 854104	04	08	कटिहार		सहायक प्राध्यापक पूर्णियाँ अभिo महाo, पूर्णियाँ।

7.	श्री उमर फारूक, ग्राम+पो० खोदाईबाग, जिला– सारण (छपरा)– 841415	04	11	सारण	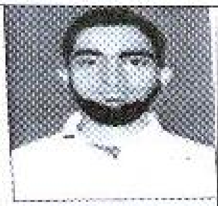	सहायक प्राध्यापक एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर।
8.	श्री पवन कुमार जयसवाल, उमाई कम्पाउंड, रामनगर, पश्चिमी चम्पारण– 845106	05	10	पश्चिम चम्पारण		सहायक प्राध्यापक एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर।

2. सभी नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3. इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ सहायक प्राध्यापक (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

4. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मेधा क्रमांनुसार होगी।

5. अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों एवं आवेदन में अंकित किये गये सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

6. इनकी यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं किसी भी समय बिना कोई कारण बताए तथा बिना पूर्व सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

7. ऐसे नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन) जो वर्त्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/ अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात ही नव पद पर अपना प्रभार प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी इनका प्रभार प्रतिवेदन विरमित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

9. सभी अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने–देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी –सह– असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

11. निर्धारित तिथि तक योगदान देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन न देने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–01/2018/ /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – श्री/सुश्री/श्रीमती– ...., पिता/पति का नाम– .... ग्राम/मो0– .... जिला– .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फोटो

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–01/2018/ 675 /पटना, दिनांक– 12/3/2018

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (विभागीय आई०टी० मैनेजर के माध्यम से)।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–01/2018/ 675 /पटना, दिनांक– 12/3/2018

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–01/2018/ 675 /पटना, दिनांक– 12-3-2018

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमत्री, बिहार के प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारियों एवं आई० टी० मैनेजर, (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित प्राचार्यो को निदेशित किया जाता है कि नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों की जाँच संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से कराकर उसका प्रतिवेदन विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के विशेष सचिव